रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09122023-250520
CG-DL-E-09122023-250520

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5009] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 8, 2023/अग्रहायण 17, 1945
No. 5009] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 8, 2023/AGRAHAYANA 17, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2023

का.आ. 5238(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 17 सितंबर, 2002 की पूर्व राजपत्र अधिसूचना का.आ. 1008(अ) का अधिक्रमण करते हुए, केंद्र सरकार ने अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3946 (ई) दिनांक 5 सितम्बर 2023 से पर्यावरण और वन तथा वन्यजीव की विषय-वस्तु एवं उक्त आदेशों में उल्लिखित तत्संबंधी मुद्दों को शामिल करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन की निगरानी करने तथा उसको सुनिश्चित करने के प्रयोजन से और उक्त अधिनियम तथा न्यायालय के आदेशों के और प्रभावी कार्यान्वयन हेतु आमतौर पर राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार को उपाय सुझाने/सिफारिश प्रस्तुत करने के उद्देश्य से रिट याचिका (सिविल) सं. 202/95 में आई.ए. सं. 19602 तथा 174896/2019 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 18 अगस्त, 2023 के आदेश के अनुपालन में 'केंद्रीय सशक्तता समिति' इसमें इसके पश्चात् समिति के रूप में संदर्भित के नाम से एक स्थायी प्राधिकरण का गठन किया है।

2. तदनुसार, निम्नलिखित को तत्काल प्रभाव से तीन वर्ष की अवधि के लिए या छियासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने या केंद्र सरकार के किसी अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो, इस समिति में नियुक्त किया जाता है:

1) श्री सिद्धांत दास, अध्यक्ष

2) श्री चन्द्र प्रकाश गोयल, सदस्य

3) श्री सुनील लिमये, सदस्य

4) डॉ. जे.आर. भट्ट, सदस्य

5) सुश्री बानुमति जी, सहायक वन महानिरीक्षक, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय- सदस्य सचिव

3. समिति के सदस्य उनकी निजी क्षमता में नियुक्त किए जाएंगे और यह समिति दिल्ली-स्थित अपने मुख्यालयों सहित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में केंद्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करेगी।

4. अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन, भत्ते और अन्य अनुलाभ तथा सेवा के नियम और शर्तें ऐसी होंगी जो निर्धारित की जा सकती हैं, बशर्ते कि अध्यक्ष या सदस्य के न तो वेतन, भत्ते और न ही अनुलाभ और सेवा के अन्य नियम और शर्तों में ऐसा अंतर होगा जिससे उनकी नियुक्ति के बाद उन्हें किसी प्रकार की हानि हो।

5. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय समिति के लिए उपयुक्त और पर्याप्त कार्यालय का स्थान और समिति को सौंपे गए कार्यों और शक्तियों के निर्वहन के लिए आवश्यक कार्यबल, बजटीय सहायता और बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा।

6. सदस्यों और सहायक कर्मचारियों के वेतन या पारिश्रमिक सहित समिति के कामकाज पर होने वाले व्यय का वहन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

7. समिति का क्षेत्राधिकार पूरे भारत में होगा।

[फा. सं. 13-12/2022-एसयू]

बिभाष रंजन, अपर वन महानिदेशक

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 2023

S.O. 5238(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1988) (hereinafter referred to as the said Act) and in supersession of the Notification S.O. 1008 (E) dated 17th September 2002, the Central Government has vide Notification No S.O. 3946 (E) dated 5th September,2023 constituted a permanent authority to be known as the Central Empowered Committee, (hereinafter referred to as the Committee) for the purposes of monitoring and ensuring compliance of the orders of the Hon'ble Supreme Court in the matter Writ Petitions (Civil) No. 202/1995 and 171/1996, covering the subject matters of Environment and Forest & Wildlife, and related issues arising out of the said orders and to suggest measures and recommendations generally to the State as well as Central Government, for the more effective implementation of the Act and other orders of the Court.

2. Accordingly, following are hereby appointed to this committee with immediate effect for a period of three years or till they attain the age of Sixty-Six years or till any other order of the Central Government, whichever is earlier:

1) Sri Siddhant Das, Chairman

2) Sri Chandra Prakash Goyal, Member

3) Sri Sunil Limaye, Member

4) Dr J.R. Bhatt, Member

5) Ms Banumathi G, Assisstant Inspector General of Forests, Minsitry of Environment, Forest & Climate Change- Member Secretary

3. The members of the Committee are appointed in their personal capacity and the Committee shall function under the administrative control of the Central Government in the Ministry of Environment, Forest & Climate Change with its headquarters at Delhi.

4. The salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of, the Chairperson and Members, will be prescribed separately, provided that neither the salary nor perks and the other allowances nor the other terms and conditions of service of the Chairperson or a Member shall be varied to his disadvantage after his appointment.

5. The Ministry of Environment, Forest & Climate Change shall provide suitable and adequate office accommodation for the Committee and requisite manpower, budgetary support and infrastructure to discharge the functions and powers delegated to the Committee.

6. The expenditure incurred on the working of the Committee including salary or remuneration to the members and supporting staff, will be met by Ministry of Environment, Forest & Climate Change.

7. The jurisdiction of the Committee shall extend to the whole of India.

[F. No. 13-12/2022-SU]

BIVASH RANJAN, Addl. Director General of Forests

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA